<u>न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा</u>

राज्यं प्रति आलोक

मु0अ0 सं0–419/2017

धारा– 323,354,504 भा0दं0सं0

थाना–ठाकुरद्वारा

<u>10.05.2019</u>

अभियुक्तगण आलोक व मनोज मु0अ0सं0–419/2017 अन्तर्गत धारा–323,354,504 भा0दं0सं0 थाना–ठाकुरद्वारा के मामले में अभियुक्त उपरोक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा अभियोजन आख्या एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन आख्यानुसार अभियुक्तगण द्व ारा वादनी/पीड़िता के साथ अश्लील हरकत एवं छेड़खानी करते हुए मार पीट की गयी है अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध अजमानतीय है।

अभियुक्तगण स्वेच्छया आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्तगण दिनांक 01.05. 2019 से अन्तरिम जमानत पर हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का ससम्मान अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण आलोक व मनोज की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र धारा–323,354,504 भा0दं0सं0 में निरस्त किया जाता है।

सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा